1 <u>दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन</u>

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080 तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460- प्रति परिवार प्रति-वर्ष की सीमा के अन्दर हों के भरण-पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अन्तर्गत रू0 1000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

<u>आवेदन की प्रक्रिया- निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक हैं -</u>

- न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र
- गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण-पत्र
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव/शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न होती है।
- बैंक पासबुक की छाया-प्रति

लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम https: sspy-up.gov.in पर अपना आवेदन करना होता है जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापनोपरान्त पात्र दिव्यांगजन को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।

<u>भुगतान की प्रक्रिया- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली (ई-पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।</u>

2- <u>कुष्ठावस्था पेंशन योजना</u>

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080-तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460- प्रति परिवार प्रति-वर्ष की सीमा के अन्दर हैं एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) के आधार पर रू0 3000 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

<u>आवेदन की प्रक्रिया- निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक हैं -</u>

- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (प्रतिशत की सीमा नहीं
- गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण-पत्र
- आयु की न्यूनतम्/अधिकतम् की सीमा नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव/शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न होती है।
- बैंक पासबुक की छाया-प्रति

लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम http://sspy-up.gov.in in पर अपना आवेदन करना होता है जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापनोपरान्त पात्र दिव्यांगजन को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।

<u>भुगतान की प्रक्रिया- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली (ई-पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।</u>